रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 29, 1972/वैशाख 9, 1894
No. 131] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 29, 1972/VAISAKHA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April 1972

G.S.R. 265(E).—In exercise of the powers conferred by section 410 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee consisting of the following members, namely:—

1. Shri K. D. Dholakia.
2. Shri S. C. Aggarwal.
3. Shri M. A. Wadud Khan.
4. Prof. K. T. Merchant.

2. The said Advisory Committee shall hold office for a period of two years with effect from the 1st May, 1972.

[No. F. 3/2/71-C.L.V.]
R. PRASAD, Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 265 (अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 410 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक सलाहकार समिति एतद्द्वारा गठित करती है, अर्थात् :—

1. श्री के० डी० धोलाकिया
2. श्री एम० सी० अग्रवाल
3. श्री एम० ए० वाहूद खान
4. श्री के० टी० मर्चेन्ट

2. उक्त सलाहकार समिति का कार्य-काल 1 मई, 1972 से दो वर्ष का होगा।

[सं० फा० 3/2/71—सी० एल०—5]

रा० प्रसाद, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972